प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 05 जुलाई, 2016**

विषय:- सैफई मास्टर प्लान के अन्तर्गत सैफई, इटावा में विद्युत केबिलिंग को टनल एवं डीप ड्रिलिंग द्वारा भूमिगत केबिल कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अंशपूँजी मद में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के पत्र संख्या- 7223/प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/नि0(तक0), दिनांक 03.06.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण हानियों एवं विद्युत चोरी को कम करने हेतु भूमिगत केबिल कार्य करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 375,00,00,000/-(रूपये तीन सौ पचहत्तर करोड मात्र) में से सैफई मास्टर प्लान के अन्तर्गत सैफई, इटावा में विद्युत केबिलिंग को टनल एवं डीप ड्रिलिंग द्वारा भूमिगत केबिल कराये जाने हेतु धनराशि रूपये 55,10,00,000/- (रूपये पचपन करोड़ दस लाख मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 22,04,00,000/- (रूपये बाईस करोड़ चार लाख मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम होगी:-

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गई है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(3) निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से भिन्न होते है, तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य/ व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।

(5) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) प्रश्नगत परियोजना के कार्यान्वयन सम्भावित डिस्मेन्टलिंग के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली सामग्री का उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के माध्यम से उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से मूल्यांकन कराने के बाद में मूल्यांकित धनराशि राज्य के खाते में जमा की जायेगी।

(7) परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(8) प्रश्नगत धनराशि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0 की अनुमति से आहरित की जायेगी।

(9) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा समयबद्व एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

(10) कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढ़ंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(11) यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

(12) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति संबन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का होगा और उनके द्वारा तदनुसार ऊर्जा विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

(13) कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य समाप्ति के पश्चात उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को किया जायेगा। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(14) अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र ऊर्जा विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्व पत्र संख्या-426, दिनांक 13-जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र

http://shasanadesh.up.nic.in

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-06-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण हानियों एवं विद्युत चोरी को कम करने हेतु भूमिगत केबिल कार्य हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 151 /दस-2016, दिनांक 30 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

<u>संख्या-81/1319(1)/24-1-16, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/राज्य योजना अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in